



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-01062026-273025
CG-DL-W-01062026-273025

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 6]

नई दिल्ली, मई 24—मई 30, 2026, शनिवार/ज्येष्ठ 3—ज्येष्ठ 9, 1948

No. 6]

NEW DELHI, MAY 24—MAY 30, 2026, SATURDAY/JYAISHTHA 3—JYAISHTHA 9, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2026

का.नि.आ. 16.—केंद्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में यंत्र इंडिया लिमिटेड के निम्नलिखित कॉर्पोरेट मुख्यालय को, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:-

यंत्र इंडिया लिमिटेड, कॉर्पोरेट मुख्यालय

भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग

अंबाझरी, नागपुर, महाराष्ट्र - 440021

[फा. सं. 5(2)/2022-रक्षा (रा.भा.-2)]

मीरा मोहंती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2026

S.R.O. 16.—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following Corporate Headquarter of Yantra India Limited more than 80 % staff whereof has acquired working knowledge of Hindi:-

Yantra India Limited, Corporate Headquarter
A Govt. of India Enterprise, Ministry of Defence, Department Of Defence Production
Ambajhari, Nagpur, Maharashtra - 440021

[F. No. 5 (2) /2022-D (OL-2)]

MEERA MOHANTY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2026

का.नि.आ. 17.—केंद्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम(4)के अनुसरण में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:-

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
पोस्ट बॉक्स नं. 26, रवीन्द्रनाथ टैगोर रोड,
मछिलिपट्टणम, - 521001, आंध्र प्रदेश

[फा. सं. 5(2)/2022-रक्षा (रा.भा.-2)]

मीरा मोहंती, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2026

S.R.O. 17.—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of Bharat Electronics Limited, more than 80 % staff whereof has acquired working knowledge of Hindi:-

Bharat Electronics Limited

Post Box No. 26, Ravindranath Tagore Road,

Machilipatnam, - 521001, Andhra Pradesh

[F. No. 5 (2) /2022-D (OL-2)]

MEERA MOHANTY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2026

का.नि.आ. 18.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सशस्त्र सेना चिकित्सा सामग्री डिपो, समूह 'ख' पद (वरिष्ठ भण्डार अधीक्षक) भर्ती नियम, 2005 और रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय, सशस्त्र सेना चिकित्सा सामग्री डिपो, भण्डार रक्षण कर्मचारी समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2006 को, जहां तक उनका संबंध भण्डार अधीक्षक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के अधीन वरिष्ठ भण्डार अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय, वरिष्ठ भण्डार अधीक्षक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन सारणी में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति :-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह का संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ भण्डार अधीक्षक	33* (2026) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा; यदि विफल रही, तो प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति:

भण्डार अधीक्षक जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4, (रु.25500-81100) की श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसने सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविहित दो से चार सप्ताह का प्रोन्नति पूर्व प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार के अधिकारी,-

(क)(i) जो नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण कर रहे हैं, अथवा

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200-92300) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो,

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात् :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा संख्यिकी अथवा व्यवसाय अध्ययन अथवा लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि; और

(ii) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सांविधिक संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान के भण्डार अथवा प्रतिष्ठान के संभलाई एवं लेखा संधारण में एक वर्ष का अनुभव; अथवा

(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी अथवा व्यवसाय अध्ययन अथवा लोक प्रशासन में स्नातक उपाधि;

(iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सामग्री प्रबंधन अथवा भण्डार-गृह प्रबंधन अथवा क्रय अथवा रसद अथवा लोक प्रापण में डिप्लोमा;

(v) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सांविधिक संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान के भंडार अथवा प्रतिष्ठान के संभलाई एवं लेखा संधारण में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1.- पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (उपस्कर और भण्डार) -अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (योजना) -सदस्य; 3. संबंधित प्रशासनिक अनुभाग के निदेशक अथवा उप सचिव, रक्षा मंत्रालय -सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (उपस्कर और भण्डार) -अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (योजना) -सदस्य; 3. संबंधित प्रशासनिक अनुभाग के निदेशक अथवा उप सचिव, रक्षा मंत्रालय - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 3019/आर आर/एस एस एस/डीजीएफएमएस/डीजी-2बी]

एम. पी. हरीनारायणन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2026

S.R.O. 18.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Armed Forces Medical Stores Depot Group 'B' Post (Senior Stores Superintendent) Recruitment Rules 2005; and the Ministry of Defence, Directorate General Armed Forces Medical Services, Armed Forces Medical Store Depot, Storekeeping Staff Group 'C' posts Recruitment Rules, 2006, in so far as they relate to the post of Store Superintendent, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Store Superintendent in the Directorate General Armed Forces Medical Services, Ministry of Defence, namely:—

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Directorate General Armed Forces Medical Services, Senior Store Superintendent (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.** - No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Store Superintendent.	33* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400 - 112400).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion, failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
Promotion: Superintendent (Store) in the level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with ten years' regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks pre-promotional training as Specified by the competent authority.

Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:

Officers of the Central Government, -

- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with six years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: -
- (i) Master's degree in Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from a recognised University or recognised institute; and
- (ii) One-year experience in handling store and keeping Accounts in a store or a concern of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation public sector undertakings or recognised University or recognised institution;
- or (iii) Bachelor's degree in Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from a recognised University or recognised institute;
- (iv) Diploma in material management or warehousing management or purchasing or logistics or public procurement from recognised University or recognised institute;
- (v) Two years' experience in handling Store and keeping accounts in a Store or a concern of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or Statutory organisation or public store undertakings or recognised University or recognised research institution.

Note 1. -The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists list shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2. -The period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3. -The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment and Stores) -Chairman; 2. Deputy Director General Armed Forces Medical Services (Planning) -Member; 3. Director or Deputy secretary, from the concerned administrative section, Ministry of Defence -Member;	Consultation of Union Public Service Commission is not necessary.

Ground 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment and Stores) - Chairman; 2. Deputy Director General Armed Forced Medical Service (Planning) -Member; 3. Director or Deputy Secretary, from the concerned administrative section, Ministry of Defence -Member.	
--	--

[F. No. 3019/Senior Store Superintendent/RR/DGAFMS/DG-2B]

M.P HARINARYANAN, Under Secy.